# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 01/2020

पीठासीन अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. विजयपाल पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी महरमपुर नबाब

तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

प्रार्थीगण.....

1. ईशब खान
2. जान
3. बन्धु पुत्रान समसुन खॉ

समस्त जाति मुस्लमान निवासी रघुनाथपुरा तहसील कोटपूतली

अप्रार्थी गण.....

4. ज्योति पुत्री प्रभूदयाल
5. धर्मपाल पुत्र प्रभूदयाल
6. सुनिता पत्नि महिपाल
7. हरिपाल पुत्र प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी महरमपुर नबाब

तरतीबी अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम ।

पत्रावली पेष हुई ।

निर्णय

दिनांक–27.4.2021

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई ।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वाके ग्राम महरमपुर नबाब के खसरा नंबर 188/0.86,189/0.38 कुल किता 2 रकबा 1.24 है प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थीगण 1 लगायत 3उक्त खातेदारी भूमि से कोई लेना नहीं है ना कभी रहा है। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज कास्त हैं। जिसमें प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण ने

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी उक्त भूमि को खाली करने हेतु अप्रार्थीगण को कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को खाली करने से मना कर दिया। प्रार्थी के भाई बहिनों व गांव वालों ने उपरोक्त भूमि को खाली कर प्रार्थी को कब्जा संभलाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उक्त भूमि को खाली करने से मना कर दिया। प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम महरमपुर नबाब के खसरा नंबर 188/0.86,189/0.38 है0 पर अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थी को कब्जा संभलाने का निवेदन किया जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया।

अप्रार्थी गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अपना जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 183 (बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया गया है। जबकि विजयपाल व उसके भाई हरिपाल व धर्मपाल पुत्रान प्रभूदयाल जाति मीणा ने आपने को ग्राम रधुनाथपुरा के निवासी बताते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर को कोटपूतली के समक्ष एक वाद पत्र संख्या 226/2011 उनवानी हरिपाल आदि बनाम ईसब खान आदि दिनांक 15.11.2011 को आराजी खसरा नंबर 188/0.86,189/0.38 व 462/205/0.68 वाके मौजा महरमपुर नबाब तहसील कोटपूतली के बाबत स्थाई निषेदाज्ञा की डिकी चाहने हेतु प्रस्तुत किया था। जिस वाद में अप्रार्थीगण प्रतिवादी गण है जो उपस्थित होकर जबाब वाद पत्र व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया है उक्त वाद के साथ विजयपाल आदि ने एक प्रार्थना पत्र 212 राज0कास्तकारी अधिनियम ईसब खान बनाम हरिपाल आदि प्रस्तुत किया हुआ है। न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय के यहां प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेद्याज्ञा एवं प्रर्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. विचारणधीन है प्रार्थी ने इन सब तथ्यों को छुपाते हुए मान्य न्यायालय को मुगालता देने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में विरोधाभासी वाद दो न्यायालयों में अलग-अलग नही चल सकते धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अन्तगर्त दो समान्नातर वादों के न्याय निर्णयन तथा साथ -साथ ग्राहता से एक न्यायालय की अधिकारिता को रोकना है ऐसी स्थिति में धारा 10 विचारण के प्रक्रम पर ही पश्चात्वर्ती संस्थित वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी जावेगी इसलिए मान्य न्यायालय अधिनियम चलने योग्य नहीं है। वादी को यह वाद अकेले प्रस्तुत करने का हक नहीं है। क्योंकि वादी/प्रार्थी ने अपने मद नं0 2 में यह स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि का उसके सगे भाई हरिपाल, धर्मपाल वहन ज्योति व सुनिता पत्नि महिपाल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है ऐसी स्थिति में वादी को यह वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई व्यक्ति एक साथ दो घोड़ों पर सवार होकर सवारी नहीं कर सकता वादी/प्रार्थी ने विवादित भूमि के लिए एक ओर तो न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय कोटपूतली के समक्ष वाद व प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर रखा है तथा अप्राथीगण ने भी वादी व उसके भाईयों के विरूद्व काउन्टर क्लेम बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई

तहसीलदार
कोटपूतली (ज...)

निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर रखा है ये तथ्य वादी / प्रार्थी ने छुपाये है इसलिय हस्तगत वाद प्रथम दृष्टया में खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज पेश किये जो संलग्न पत्रावली किये गये। वकील अप्रार्थीगण की मौखिक बहस सुनी गई अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में कहे गये कथनो को दोहराते हुए कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया। इस संबन्ध में भू–अभिलेख निरीक्षक गोरधनपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई भू– अभिलेख निरीक्षक गोरधनपुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुताबिक ऑन लाईन रिकार्ड अवलोकन करने पर खसरा नंबर 189/0.38 है0 में से 0.24 है 0 में हरी मिर्च की फसल जो वर्तमान में खडी है , 0.13 है 0 में गेंहूँ की फसल की गई थी जो काटी जा चुकी है तथा लगभग 0.01 है 0 में वर्तमान में चारदिवारी लगाकर आवासीय नुमा निर्माण बना हुआ है। इसके अलावा खसरा नंबर 188/0.86 है लगभग 0.07 है0 में दो प्लाट जिनमें एक पूर्ण निर्मित आवासीय एक अर्द्ध निर्मित आवासीय चार व्यवसायिक दुकान एक जियो कम्पनी का टावर बना हुआ है एवं लगा हुआ है शेष भूमि में लगभग 0.19 है0 भूमि खाली शेष 0.60 है0 भूमि में टमाटर, खीरे,तरबूज आदि उगे हुए हैं उक्त भूमि में खातेदार जमाबदी अनुसार संयुक्त रूप से करना बताया गया।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व,मौखिक बहस व भू–अभिलेख निरीक्षक गोरधनपुरा रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम महरमपुर के खसरा नंबर 188/0.86,189/0.38किता 2 कुल रकबा 1.24 है0 प्रार्थी की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि प्रार्थी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है अतः अनुसूचित व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर अन्य जाति का कब्जा किया जाना प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत विचार करने योग्य प्रतीत होता है भू–अभिलेख निरीक्षक गोरधन पुरा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 189/0.38 है0 में लगभग 0.37 है0भूमि पर वर्तमान में कास्त की जा रही है जो मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदारों द्वारा की जा रही है तथा खसरा नंबर 188/0.86 है0 में लगभग 0.07 है0 में आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तथा 0.79 है 0 भूमि पर कास्त की जा रही है वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त 2037–56 के अनुसार ग्राम महरमपुर नवाब के खसरा नंबर 188/0.86 व 189/0.38 किता 2 कुल रकबा1.24 है0 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज है। रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति मीना द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र व इकरारनामा द्वारा बुन्दुखॉ वल्द समसु ,फकरूद्दीन पुत्र समसुद्दीन , इस्बखॉ वल्द समसुखॉ कौम मुस्लमान निवासी रघुनाथपुरा को बैचान किया गया है जिसके संबन्ध में खातेदार द्वारा लिखे गये शपथ –पत्र के अनुसार खसरा नंबर 188 ग्राम महरमपुर नवाब में से प्लाट जरिये विकय पत्र बेचान किये गये हैं खातेदार अनुसुचित जाति द्वारा जरिये विकय पत्र अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंवर 188/0.86 है0 का बेचान गैर अनुसुचित जाति के व्यक्तियों को किया जाकर उक्त भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर धारा 42 की उलंघन किया बखूबी सिद्व होता है।अतः खातेदार द्वारा धारा 42 का उलंघन किये जाने पर उसके विरूद्व राजस्थान

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

कास्तकारी अधिनियम 175 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा खसरा नंबर 189/0.38 है0 में मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार सहखातेदारों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है जिसमें किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्व नहीं होता अतः खसरा नंबर 189/0.38है0 तक प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 189/0.38 है 0 तक अस्वीकार किया जाता है तथा तत्समय खातेदार रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा सा0देह की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 188/0.86 है0 ग्राम महरमपुर नवाब के विरूद्व राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गाय।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)